कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति(पुनर्रावलोकन) द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए)के अनुरूप ग्रुप डी–II में संवर्गित **प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप–एफ)** की वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिव्यू डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पूर्व के वर्षों में चयनित प्रधानाध्यापक–मावि का चयन इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/ बी–III/ प्रधानाध्यापक/रिव्यू 2013–14 से 2017–18(निरस्त) दिनांकः– 23.10.2020 द्वारा चयन को निरस्त किया गया हैं।

उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिक का चयन निरस्त किया गया हैः–

क सं	वरिष्ठता कमांक		वर्ष	नाम	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिड्	चयन वर्ष	चयन निरस्त का कारण
1	539	0	1987–88	NEELAM KULHAR प्रधानाध्यापक,रामावि, गिरधारीपुरा– झोटवाडा सिटी, जयपुर	10.06.1962	f	gen	II	2016–17	अ.म.स्था. होने के कारण वरिष्ठता विलोपित होने व नवीन वरि. 2685(2)/ 01–02 पर दर्ज होने के कारण (दि0 14.03. 2016)

इस कार्यालय के आदेश कमांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–III/डीपीसी/प्रअ/ 16–17 **दिनांक 06.06.2016** द्वारा वरिष्ठता कमांक **539/1987–88** नीलम कुल्हार, वरिष्ठ अध्यापक का चयन प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर डीपीसी वर्ष 2016–17 में किया गया था। तत्पश्चात् पदस्थापन आदेश दिनांक **08.06.2018** द्वारा नीलम कुल्हार, का प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापन रामावि, हसनपुरा जयपुर किया गया। श्रीमति कुल्हार द्वारा उक्त पद पर कार्यग्रहण किया गया।

नीलम कुल्हार वरिष्ठ अध्यापक का वर्ष 2001–02 में अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण हुआ था। फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा नीलम कुल्हार के अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के कारण वरिष्ठता कमांकः– 539/1987–88 को विलोपित किया जाकर नवीन वरिष्ठता 2685(2)/ 2001–02 आवंटित की गई। विलोपित व0क0 539/1987–88 के स्थान पर नवीन वरिष्ठता 2685(2)/2001–02 आवंटित होने के 3 माह उपरान्त विलोपित वरिष्ठता 539/1987–88 के आधार पर जारी पदोन्नति पर नीलम कुल्हार द्वारा कार्यग्रहण किया जो नियमानुसार सही नहीं था। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/ बी–III/ प्रधानाध्यापक/रिव्यू 2013–14 से 2017–18(निरस्त) दिनांकः– 23.10.2020 द्वारा चयन को निरस्त किया गया हैं।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.12.2020 द्वारा श्रीमती नीलम कुल्हार, प्रधानाध्यापक, रामावि, गिरधारीपुरा–झोटवाडा सिटी, जयपुर को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 15.12.2020 को व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द भी किया गया था। लेकिन नीलम कुल्हार आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुई हैं। ☆

अतः इस कार्यालय के आदेशांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–III/प्रधानाध्यापक/रिव्यू 2013–14 से 2017–18(निरस्त) दिनांकः– 23.10.2020 एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर श्रीमती नीलम कुल्हार, प्रधानाध्यापक, रामावि, गिरधारीपुरा–झोटवाडा सिटी, जयपुर का प्रधानाध्यापक पदोन्नति आदेश 08.06.2018 को तत्काल प्रभाव से नीलम कुल्हार की हद तक निरस्त किया जाता हैं। नीलम कुल्हार वर्तमान प्रधानाध्यापक, रामावि, गिरधारीपुरा–झोटवाडा सिटी, जयपुर को वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदावनत किया जाकर आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता हैं। आदेशों की प्रतीक्षा में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा, जयपुर रहेगा। संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा, जयपुर इनका पदस्थापन आदेश जारी करेगें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–I/प्र0अ0 रिवर्ट/रिव्यू डीपीसी/ 2017/2019 दिनांकः–26/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झोटवाडा–सिटी,जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
07. प्रधानाध्यापक,रामावि, गिरधारीपुरा– झोटवाडा सिटी, जयपुर
08. NEELAM KULHAR प्रधानाध्यापक,रामावि, गिरधारीपुरा– झोटवाडा सिटी, जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करने की कार्यवाही निर्देशानुसार सुनिश्चित करें।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ डीपीसी
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक–कार्मिक